न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर ,कपासन जिला – चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी , ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - ---रोलिया---------

धारा अन्तर्गत – 136 प्र.सं. 329/25 दायर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 27/09/2025

क्र.स..	नाम- ग्राम	खा.न	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	रोलिया	345	महोदय जी, निवेदन है कि मुताविक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट वैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट वेंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट वैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट वेंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			तहसालीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्ययीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम ---- प.ह.---- ---------- खातासं .....345..... में वर्तमान् प्रविष्ट स्टेट वैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट वेंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी		
			स्टेट वैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट वैंक ऑफ इण्डिया		
			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

तहसीलदार(भू.अ.)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

प्रतिलिपि पालनार्थः–

1. पटवारी पटवार मण्डल .....रोलिया..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार(भू.अ.)